प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' सैंतीस '

[10/3/2017]

प्रश्न सं. [क. 5577]

विधान सभा प्रश्न 5577 का परिशिष्ट 1

(15) समिति बालक को पालन पोषण देखरेख में रखने का अंतिम आदेश प्ररूप 32 में पारित करेगी, जिसमें बालक को पालन पोषण देखरेख में रखे जाने की अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(16) पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण देखरेख प्रदाता बालक का की पालन पोषण देखरेख के लिए प्ररूप 33 में वचनबंध पर हस्ताक्षर करेंगे।

(17) जिला बाल संरक्षण इकाई पालन पोषण देखरेख में रखे गए प्रत्येक बालका अभिलेख प्ररूप 34 में रखेगी।

(18) समिति पोषक परिवारों या सामूहिक पालन पोषण देखरेख प्रदाताओं का मासिक निरीक्षण प्ररूप 35 में करेगी, ताकि बालकी भलाई सुनिश्चित की जा सके।

(19) पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण देखरेख प्रदाता निम्नलिखित प्रदान करेंगे:

(i) पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आश्रय और शिक्षा प्रदान करना;

(ii) बालक के समग्र शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए देखरेख, तथा उपचार उपलब्ध कराना;

(iii) शोषण, दुर्व्यवहार, क्षति, उपेक्षा और दुरुपयोग से संरक्षण सुनिश्चित करना;

(iv) आयु के अनुसार उपयुक्त मनोरंजन, पाठ्येत्तर कार्यकलापों, जैसे कि खेलकूद, संगीत, नृत्य, नाटक, कला इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(v) बालक की रुचि के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना;

(vi) बालक की निजता और उसके जैविक परिवार या संरक्षक का आदर करना और यह स्वीकारना कि उनके विषय में प्रदान की गई कोई भी जानकारी गोपनीय है तथा बिना पूर्व-सहमति के किसी तीसरे पक्ष के समक्ष प्रकट नहीं की जाएगी;

(vii) आपात परिस्थितियों में उपचार कराना तथा समिति और जैविक परिवार को इस बात की जानकारी देना, जो कि आवश्यक होने पर उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगी;

(viii) बालक के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए समिति के परामर्श से बालक और उसके जैविक परिवार के बीच सहायता संपर्क;

(ix) बालक की प्रगति के विषय में जानकारी समय-समय पर समिति तथा बालक के जैविक परिवार को प्रदान करना तथा उनसे विचार-विमर्श करना तथा समिति के निर्देशानुसार बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करना; और

(x) यह सुनिश्चित करना कि बालक की स्थिति हमेशा ज्ञात रहे, जिसमें पते, छुट्टी की योजनाओं में बदलाव और बालक के भाग जाने की घटनाओं की सूचना समिति को देना शामिल है।

24. प्रायोजन.—(1) राज्य सरकार प्रायोजन कार्यक्रम तैयार करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

(i) व्यक्ति से व्यक्ति का प्रायोजन;

(ii) सामूहिक प्रायोजन;

(iii) सामुदायिक प्रायोजन;

(iv) प्रायोजन के माध्यम से परिवारों को सहायता; और

(v) बालगृहों और विशेष गृहों को सहायता।

(2) यह प्रायोजन कार्यक्रम जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जो किसी बालक के प्रायोजित के लिए इच्छुक व्यक्तियों या परिवारों का पैनल उपलब्ध कराएगी।

(3) इस पैनल में शिक्षा, चिकित्सीय सहायता, पोषण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि जैसे रूचि के क्षेत्रों तथा प्रायोजन के स्वरूप के अनुसार प्रायोजकों को सूचीबद्ध किया जाएगा।

(4) जिला बाल संरक्षण इकाई यह पैनल बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय को भेजेगी।

सहायक
संचालनालय महिला ...

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

विधान सभा अतारांकित प्रश्न 5577 का परिशिष्ट - 1

प्रयोजन के लिए उपयुक्त होने के रूप में मान्यताप्राप्त किसी असंबद्ध कुटुंब में, अल्पावधि या बढ़ाई अवधि के लिए रखा जा सकेगा।

(2) पोषक कुटुंब का चयन, कुटुंब की योग्यता, आशय, क्षमता और बालक की देखरेख करने के पूर्व अनुभव के आधार पर होगा।

(3) सहोदरों को पोषक कुटुंबों में तब तक एक साथ रखने का प्रयास किया जाएगा, जब तक उन्हें एक साथ रखना उनके सर्वोत्तम हित में हो।

(4) राज्य सरकार, बालकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात्, जो विहित की जाए, जिला बाल संरक्षण एकक के माध्यम से ऐसी पोषण देखरेख के लिए बालकों की संख्या को ध्यान में रखकर मासिक वित्त पोषण प्रदान करेगी।

(5) उन दशाओं में, जहां बालक इस कारण से पोषण देखरेख में रखे गए हैं कि उनके माता-पिता बालक की देखरेख करने के लिए अयोग्य या असमर्थ हैं, बालक के माता-पिता नियमित अंतरालों पर पोषक कुटुंब में बालक से तब तक मिल सकेंगे जब तक समिति, उसके लिए लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह अनुभव न करे कि ऐसे मिलना बालक के सर्वोत्तम हित में नहीं है; और समिति द्वारा एक बार माता-पिता को बालक की देखरेख करने के योग्य अवधारित करने पर अंततः बालक माता-पिता के घर वापस जा सकेगा।

(6) पोषक कुटुंब, बालक को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह बालक का ऐसी रीति में समग्र कल्याण सुनिश्चित करेगा जो विहित की जाए।

(7) राज्य सरकार, ऐसी प्रक्रिया, मानदंड और रीति को, जिसमें बालक को पोषण देखरेख सेवाएं प्रदान की जाएंगी, परिभाषित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(8) समिति द्वारा बालक के कल्याण की जांच करने के लिए ऐसे रूप विधान में, जो विहित किया जाए, प्रत्येक मास पोषक कुटुंबों का निरीक्षण किया जाएगा और जब कभी किसी पोषक कुटुंब में बालक की देखरेख करने में कमी पाई जाती है तो बालक को उस पोषक कुटुंब से हटा दिया जाएगा और किसी दूसरे ऐसे पोषक कुटुंब में भेज दिया जाएगा जो समिति उचित समझे।

(9) ऐसे किसी बालक को, जिसे समिति द्वारा दत्तक ग्रहण योग्य पाया जाता है, दीर्घकालीन पोषण देखरेख में नहीं दिया जाएगा।

45. प्रवर्तकता.—(1) राज्य सरकार, व्यष्टि दर व्यष्टिक प्रवर्तकता, सामूहिक प्रवर्तकता या सामुदायिक प्रवर्तकता जैसी बालकों की प्रवर्तकता के विभिन्न कार्यक्रमों को हाथ में लेने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) प्रवर्तकता के मानदंडों के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे —

(i) जहां माता विधवा या विछिन्न विवाह स्त्री या कुटुंब द्वारा परित्यकता है;

(ii) जहां बालक अनाथ हैं और विस्तारित कुटुंब के साथ रह रहे हैं;

(iii) जहां माता-पिता जीवन के लिए संकटमय रोग से पीड़ित हैं;

(iv) जहां माता-पिता दुर्घटना के कारण अशक्त हो गए हैं और बालकों की वित्तीय और शारीरिक, दोनों प्रकार से देखरेख करने में असमर्थ हैं।

(3) प्रवर्तकता की अवधि ऐसी होगी जो विहित की जाए।

(4) प्रवर्तकता कार्यक्रम द्वारा बालकों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से उनकी चिकित्सा, पोषण, शिक्षा संबंधी और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुटुंबों, बाल-गृहों और विशेष गृहों को अनुपूरक सहायता प्रदान की जा सकेगी।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,

सहायक सं[illegible]
संचालनालय महिला [illegible]
भोपाल (म.प्र.)